राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध प्रार्थना पत्र संख्या-174/2011

इन

एकलपीठ दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या-404/ 2011

सत्यनारायण बनाम संतोष नागर एवं अन्य

दिनांक: 31.05.2012

माननीय न्यायाधिपति श्री एस एस कोठारी

श्रीमती पंकज शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
श्री सुदर्शन लढ्ढा, अधिवक्ता- प्रत्यर्थीगण की ओर से

--

1. प्रार्थी सत्यनारायण की ओर से धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्रीमती पंकज शर्मा एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता श्री सुदर्शन लढ्ढा को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि न्यायालय द्वारा दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या-404/2011 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2011 के अनुसरण में प्रार्थी ने धारा 127 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पारिवारिक न्यायालय , कोटा में दिनांक 2.6.2011 को आवेदन प्रस्तुत कर दिया जिसमें पक्षकारों की पुत्री दीक्षा, निकिता एवं अंजली का विवाह वर्ष2008 में होना बताते हुए इसके समर्थन में प्रमाण पत्र पेश किये गये। प्रार्थी का यह आवेदन दिनांक 17.6.2011 से लेकर अब तक अप्रार्थीगण की तलबी में चल रहा है जब कि अप्रार्थी सन्तोष की ओर से इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थी के विरूद्ध जारी वारन्ट वसूली की राशि के लिए कार्यवाही की जा रही है । इस प्रकार पारिवारिक न्यायालय, कोटा इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार इसकी ओर से धारा

127 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही कर इसका निस्तारण नहीं कर रहा है, फलस्वरूप पक्षकारों की तीनों पुत्रियों दीक्षा, निकिता एवं अंजली का वर्ष 2008 में विवाह हो जाने के बावजूद इस अवधि के पश्चात भी इनके भरण पोषण हेतु आदेशित राशि की वसूली हेतु प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही हो रही है जिसे स्थगित किये जाने हेतु आवश्यक आदेश दिया जाना वांछित है।

3. विद्वान् अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने उक्त आवेदन का यह कहकर विरोध किया कि जब तक प्रार्थी पारिवारिक न्यायालय में साक्ष्य पेश करके यह प्रमाणित नहीं कर देता है कि पक्षकारों की उक्त तीनों पुत्रियों का विवाह हो चुका है , तब तक प्रत्यर्थीगण पारिवारिक न्यायालय, कोटा के निर्णय दिनांक 21.02.2011 तथा इस न्यायालय द्वारा निगरानी याचिका संख्या-404/2011 में पारित आदेश के अनुसरण में प्रार्थी से भरण पोषण राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उनका यह भी तर्क है कि घरेलू हिंसा के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश , महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण, कोटा के आदेश दिनांक 16.11.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में रिट याचिका संख्या-16395/2010 प्रस्तुत हुई थी जिसमें भी पक्षकारों की उक्त तीनों पुत्रियों का विवाह हो चुका है या नहीं, इस पर निष्कर्ष अभिलिखित किये जाने हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया है। उक्त रिट याचिका में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.03.2011 द्वारा विशिष्ट न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण , कोटा को निदेशित किया गया है कि वे यह निर्धारित करें कि पक्षकारों की उक्त तीनों पुत्रियों का विवाह हुआ है या नहीं। यदि यह पाया जाता है कि तीनों पुत्रियां विवाहित है तो वे कोई भरण पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होंगी। यदि यह पाया जाता है कि वे अविवाहित हैं तो उनके विवाहित होने तक की तारीख के पूर्व तक आक्षेपित आदेश की पालना में प्रार्थी आदेशानुसार राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। उनका तर्क है कि ऐसी स्थिति में जब यह मामला विशिष्ट न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण, कोटा के न्यायालय में रिट याचिका में दिये उक्त निर्देशानुसार लम्बित है तो इस सम्बन्ध में पारिवारिक

न्यायालय को कोई निर्देश दिया जाना वांछित नहीं है।

4. मैंने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार कर अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का अवलोकन किया।

5. पारिवारिक न्यायालय, कोटा के आदेश दिनांक 21.02.2011 के विरूद्ध प्रार्थी सत्यनारायण की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2011 को निम्न आदेश पारित किया गया था :-

''प्रार्थी यदि यह अनुभव करता है कि उसकी पत्नी संतोष नागर, मंजूर खां से विवाह कर चुकी है या अन्यथा जारता का जीवन व्यतीत कर रही है तो इसे वह अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश कर प्रमाणित करने के लिए स्वतंत्र है । इसी प्रकार यदि उसका यह पक्ष है कि उसकी तीनों छोटी पुत्रियां जिनके निमित्त भी भरण पोषण की राशि दिलायी गई है, का विवाह हो चुका है तो इस तथ्य को भी वह अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश कर सिद्ध करने और तदनुसार भरण-पोषण राशि दिलाने के आदेश को अपास्त कराने के लिए स्वतंत्र है। न्यायहित में यह निर्देश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी उक्त दोनों स्थितियों के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश कर प्रार्थना करता है तो अपने पूर्व निर्णय एवं इस न्यायालय द्वारा निगरानी में पारित इस आदेश से प्रभावित हुए बिना अधीनस्थ न्यायालय दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर ऐसे प्रार्थना पत्र पर विधिसम्मत आदेश पारित करेगा।''

6. इस आदेश के अनुसरण में प्रार्थी के द्वारा दिनांक 02.06.2011 को पारिवारिक न्यायाधीश, कोटा के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें जहां प्रतिपक्षी संख्या-1 के द्वारा मंजूर खां से दूसरा विवाह करने का तथ्य अंकित किया गया है, वहीं पैरा संख्या-4 में यह अंकित किया गया है कि पक्षकारों की पुत्री दीक्षा का विवाह वर्ष 2008 में दिनेश कुमार के साथ सम्पन्न हुआ जिसके

समर्थन में पंचायत का प्रमाण पत्र संलग्न है। साथ ही पुत्री निकिता एवं अंजली का विवाह दिनांक 18.05.2008 को क्रमश: चन्द्रप्रकाश एवं विनोदकुमार के साथ सम्पन्न हुआ जिसके समर्थन में विवाह के निमंत्रण की फोटो प्रति , शादी की फोटो तथा ग्राम पंचायत सुवान्या का प्रमाण पत्र संलग्न है। पारिवारिक न्यायालय द्वारा प्रार्थी का यह आवेदन दिनांक 17.6.2011 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी संतोष को नोटिस जारी किये गये हैं और तब से यह पत्रावली अप्रार्थी संतोष की तलबी में चल रही है । प्रार्थी संतोष की ओर से बकाया राशि की वसूली हेतु जो कार्यवाही इसी पारिवारिक न्यायालय में की जा रही है, उस कार्यवाही संख्या-432/2011 की आदेशिका की प्रतियां पेश की गयी हैं जिससे प्रतीत होता है कि दिनांक 1.6.2011 से अब तक बराबर संतोष उक्त न्यायालय में उपस्थित होकर वारन्ट वसूली की कार्यवाही को आगे बढ़ा रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों की ओर से प्रस्तुत कार्यवाहियां पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसके बावजूद प्रार्थी की ओर से धारा 127 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही के नोटिस अप्रार्थी संतोष पर तामील नहीं होने और प्रार्थी का आवेदन निरन्तर अप्रार्थी संतोष की तलबी में ही चलते रहने की स्थिति किसी प्रकार भी समुचित प्रतीत नहीं होती है । जब प्रार्थी की ओर से जून,2011 में ही पक्षकारों की तीनों पुत्रियों दीक्षा, निकिता एवं अंजली के विवाह के सम्बन्ध में निश्चित तथ्य एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं तो इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.05.2011 के अनुसरण में प्रार्थी इस पर पारिवारिक न्यायालय से विनिश्चय प्राप्त करने का अधिकारी है। यह स्थिति इसी न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या-16395/2010 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2011 के अवलोकन से भी पष्ट होती है।

7. ऐसी स्थिति में पारिवारिक न्यायालय, कोटा को निदेशित किया जाता है कि प्रार्थी सत्यनारायण की ओर से धारा 127 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर उनके यहां संस्थित कार्यवाही संख्या-491/2011 में अप्रार्थी संतोष जो वारन्ट वसूली की कार्यवाही संख्या-432/2011 में निरन्तर उपस्थित हो रही है, पर धारा 127

दण्ड प्रक्रिया संहिता के आवेदन के नोटिस की तामील करवाकर एवं अन्य अप्रार्थीगण को भी सूचित कर पक्षकारों की तीनों पुत्रियों क्रमश: दीक्षा, निकिता एवं अंजली के विवाह के सम्बन्ध में दोनों पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर इस सम्बन्ध में यथासम्भव शीघ्र अपना निष्कर्ष अभिलिखित करें।

8. दोनों पक्षों को सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का अवलोकन करने के उपरान्त जो स्थिति हमारे समक्ष आयी है, उसके प्रकाश में आदेश दिया जाता है कि जब तक पारिवारिक न्यायालय, कोटा द्वारा पक्षकारों की उक्त तीनों पुत्रियों दीक्षा, निकिता एवं अंजली के विवाह के सम्बन्ध में निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जाता है तब तक प्रत्यर्थी, पुत्री दीक्षा के सम्बन्ध में जनवरी,2008 से, पुत्री निकिता तथा अंजली के सम्बन्ध में दिनांक 18.05.2008 से कोई भी भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होगी अर्थात पारिवारिक न्यायालय, कोटा के निर्णय दिनांक 21.02.2011 के द्वारा पुत्री दीक्षा को दिलायी गयी भरण पोषण की राशि जनवरी,2008 से , पुत्री निकिता एवं अंजली के भरण पोषण की राशि दिनांक 18.05.2008 से एवं इसके बाद की अवधि के लिए उक्त तीनों पुत्रियों के विवाह के सम्बन्ध में निष्कर्ष अभिलिखित होने तक स्थगित रहेगी। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा 127 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आवेदन के विनिश्चय/निर्णय में यह पाया जाता है कि प्रार्थी के कथनानुसार दीक्षिा, निकिता एवं अंजली का विवाह हो चुका है तो इन तीनों के विवाह होने की तारीख के पश्चात से प्रत्यर्थी इनके निमित्त कोई भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होगी। पारिवारिक न्यायालय, कोटा के निर्णय दिनांक 21.02.2011 एवं इस न्यायालय के निगरानी याचिका संख्या-404/2011 में पारित आदेश दिनांक 21.5.2011 के अनुसरण में मिलने वाली शेष राशि, प्रत्यर्थी, प्रार्थी से प्राप्त करने की अधिकारिणी है और ऐसी राशि के सम्बन्ध में कोई स्थगन जारी नहीं किया जा रहा है। ऐसी वसूली पारिवारिक न्यायालय, कोटा के निर्णय दिनांक 21.02.2011 तथा इस न्यायालय द्वारा निगरानी याचिका संख्या-404/2011 में पारित

आदेश दिनांक 19.05.2011 के अध्यधीन होगी।

9. उक्त निर्देश के साथ प्रार्थी सत्यनारायण की ओर से प्रस्तुत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

(**न्या. एस एस कोठारी**)

"all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being e-mailed."

अनिलशर्मा/-ps